संख्या- 67/2019/837/24-1-19-14पी/05

प्रेषक:

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 29 अप्रैल, 2019**

विषय:-राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से प्राप्त ऋण पर वर्ष 2019-20 में ब्याज के भुगतान हेतु धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या- 471 /मु0म0प्र0 (वित्त) / निधि-।।/ आर (डिस्ट) /04-05/97/2004, दिनांक 08 अप्रैल मार्च, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से प्राप्त ऋण के ब्याज के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में भारित मद में प्राविधानित धनराशि रूपये 92,46,00,000/- (रूपये बान्नबें करोड़ छियालिस लाख मात्र) में से धनराशि रूपये 2,25,70,946/- (रूपये दो करोड़ पच्चीस लाख सत्तर हजार नौ सौ छियालिस मात्र) आर0ई0सी0 नई दिल्ली को भुगतान की प्रतिपूर्ति हेतु स्वीकृत कर आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि के सापेक्ष आहरित धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहॉ से धनराशि आहरित की गयी, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज तथा वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी0-1-170/ दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में दिये गये सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2049-ब्याज अदायगियॉ-01- आंतरिक ऋण पर ब्याज-200-अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज-03-राजीव ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से प्राप्त ऋण पर ब्याज-32-ब्याज/लाभांश" भारित के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई- 10 - 142 /दस - 2019, दिनांक 25 अप्रैल, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं।

भवदीय,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

संख्या- 67 /2019/837(1)/24-1-19, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001।
3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन,सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
4- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि0, कोर-4, स्कोप काम्पलेक्स-7, लोधीरोड नई दिल्ली ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in